

19/4/18

वकील अपीलान्त उपस्थित | रैस्पो. की ऑर से कोई उपस्थित नहीं पत्रावली आजन्दा वास्ते बक्स हेतु दि. 18/5/18 को पेश हो।

18/5/18

वकील अपीलान्त उपस्थित | रैस्पो. की ऑर से कोई उपस्थित नहीं | वकील अपीलान्त ने बक्स हेतु समझ पाया | पत्रावली वास्ते बक्स दि. 12/6/18 को पेश हो।

12/6/18

वकील अपीलान्त उपस्थित | बक्स हेतु समझ पाया | पत्रावली वास्ते बक्स दि. 15/6/18 को पेश हो।

15/6/18

पत्रावली पेश हुई | वकील उन्नतपत्रकारान ने कार्रगार स्थगित कर रखा है | पत्रावली आजन्दा दि. 18/6/18 को पेश हो।

18/6/18

पत्रावली पेश हुई | वकील उन्नतपत्र उपस्थित | बक्स अंतिम सुनी गई | पत्रावली वास्ते आदेश दि. 26/6/18 को पेश हो।

26/6/18

पत्रावली पेश हुई | वकील उन्नतपत्र उपस्थित | वकील अपीलान्त द्वारा उपस्तुत लिखित बक्स एवं रैस्पो. की बक्स पर मनन किया गया | पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलान्त आदेश आयालय उपखण्ड अधिकारी नीमडावात के निर्णय दि. 12/12/11 की पाहाना में पारित किया गया है आयालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश में जिली उकार की दखलदारी का प्रेषाधिकार बस आयालय को नहीं है | आयालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश के निरत रूपम आयालय में अपील उपस्तुत करे भा आयालय उपखण्ड अधिकारी के पत्परगदी आदेश के कृत में तटलीलदार के द्वारा किसे उम्मे स्तीमाजान से सेबुस्ट नहीं है के इस

संबंध में पत्थरगद्दी आदेश जारी करने
वाले न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता नीमहाबाब
में टी प्रार्थना की जाती उचित/सिन्हाप्रोचित
रहेगी। अतः अपील अपीलान्त सारणीय होने से
स्वारिज ही जाती है पत्रावली फॉसल सुतार दोठर
दायित्वपरक/निर्मित काज दिनांक 26/6/10 को मुकुले
न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official